भारत सरकार

सहकारिता एवं मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3528

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: नए मंत्रालय का उद्देश्य

3528. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवगठित सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 में किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट रेखांकित लक्ष्य का ब्योरा है एवं उक्त मंत्रालय के बजट राशि और स्टाफ का ब्यौरा क्या है;

(ख) मौजूदा सहकारिताओं का ब्यौरा क्या है जो उक्त मंत्रालय द्वारा शासित होंगे;

(ग) क्या नई सहकारिताओं के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या अलग मंत्रालय के गठन से सहकारिता क्षेत्र में राज्यों की शक्तियां कम हो जाएंगी क्योंकि सहकारिता राज्य सूची में आती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या इस मामले में सभी राज्यों को ध्यान में रखा जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): नवगठित सहकारिता मंत्रालय का अधिदेश भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार है जो कि **अनुबंध- I** पर दिया गया है। मंत्रालय का सामान्य उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधायी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए "कारोबार को सुगम करने" की प्रक्रिया को सरल बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए भी काम करेगा। जहां तक बजट राशि का संबंध है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के लिए आवंटित मौजूदा बजट को 31.03.2022 तक अथवा अलग बजट के आवंटन अथवा नए सहकारिता मंत्रालय में अपेक्षित अवसंरचना/जनशक्ति के निर्माण तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक जारी रखने निर्णय लिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय सहकारी संगठन अर्थात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), बहु-राज्य सहकारी समितियां, बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग अपने नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से "केंद्र सरकार" होगी।

(ग): भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकरण के लिए संबंधित संगठनों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार नई सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाएगा।

(घ): जी नहीं।

(ङ.): देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश का एक अभिन्न अंग है।

i. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारिता गतिविधियों का समन्वय ।
   नोट:- संबंधित मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।
ii. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" दृष्टि की प्राप्ति।
iii. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना।
iv. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
v. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।
vi. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले।
vii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
viii. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:
   बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।
ix. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

******